कायालय निदशक, माध्यामक शिक्षा राजस्थान, बाकानर

::कार्यालय आदेश::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर डी.बी. स्पेशल अपील रिट संख्या 147/2020 (अन्तर्गत एस.बी. सिविल रिट संख्या 18420/2019) में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकः 17.02.2020 द्वारा अपीलार्थी श्री राम सिंह मीणा को स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण करने के उपरान्त प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में एक अभ्यावेदन पेश करने और अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा इसका विधि अनुसार, एक आख्यात्मक आदेश प्रसारित कर निस्तारित किये जाने के आदेश प्रदान किये गए।

उक्त निर्णय के अनुसरण में श्री मीणा द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश की अनुपालना में स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं कर सीधे ही विभागाध्यक्ष के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर दिया गया जिसे गम्भीरता से लेते हुए विभाग द्वारा इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांकः 26.02.2020 द्वारा श्री मीणा को उनके स्थानान्तरित स्थान राउमावि खेतडली जिला पाली में प्रधानाचार्य के पद पर तत्काल कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया जिसकी अनुपालना में दिनांकः 27.02.2020 को इनके द्वारा स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण कर लिया गया।

श्री राम सिंह मीणा द्वारा विभाग के समक्ष दिनांकः 19.03.2020 को पुनः अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं को राउमावि फूलवाडा हिंडौन, करौली/राबाउमावि गैरई, करौली अथवा राउमावि डिडवाडी जिला सवाईमाधोपुर में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी श्री राम सिंह मीणा के अभ्यावेदन का विभागीय दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया और उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा पूर्व के समस्त दिशा–निर्देशों के अधिक्रमण (SUPERSESSION) में जारी दिशा–निर्देश दिनांकः 24.09.2019 द्वारा राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरांगना से प्राप्त आवेदनों को स्थानान्तरण में प्राथमिकता प्रदान किये जाने के निर्देश प्राप्त थे। श्री मीणा के प्रकरण में ऐसा कोई भी परिस्थितिजन्य साक्ष्य परिलक्षित नहीं होता जिससे इनके अभ्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सके।

अपीलार्थी राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर के अधिकारी हैं और इन्हें विभागीय प्राथमिकता, प्रशासनिक आवश्यकता, राज्य एवं विद्यार्थी हित में राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276 में प्रतिपादित किया गया है कि एक स्थान से किसी अन्य दूरस्थ स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने से किसी भी लोकसेवक के विधिक अधिकारों एवं सेवा नियमों का उल्लंघन नहीं होता।

उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी श्री राम सिंह मीणा, प्रधानाचार्य द्वारा की गई मांग उचित एवं नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। श्री राम सिंह मीणा विभागीय आदेश दिनांक 29.09.2019 की अनुपालना में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेतडली जिला पाली में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रहेंगे। सम्बन्धित सूचित हों।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/डी.बी.अपील/राम सिंह/147/351/2020 **दिनांकः** 25.05.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, पाली संभाग, पाली।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, पाली।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, पाली।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
7. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
8. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. श्री राम सिंह मीणा, प्रधानाचार्य राउमावि खेतडली जिला पाली।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)